ई-मेल

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः07अगस्त, 2026

विषयः-**दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.09.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकार किये जाने संबंधी शासन के पत्र संख्या-आई/555829/2024-8-3099/282/2023 दिनांक 07.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करते हुए संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम 2024 हेतु अधिसूचना दिनांक 17.09.2024 का अनुपालन कराये जाने संबंधी आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1791/78-1-2024-1099/418/2019 दिनांक 19.11.2024 एवं उसके साथ संलग्न दूरसंचार विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.09.2024 **(अनुलग्नकों सहित छायाप्रतियॉ संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराया गया है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनाक 15 नवम्बर, 2016 को इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स2016 निर्गत किये गये हैं, जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 15.06.2018 द्वारा अंगीकृत करते हुये दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 में भारत सरकार द्वारा 5जी रोलआउट के क्रियान्वयन की महत्ता के दृष्टिगत आवश्यक बिन्दुओं को समाहित करते हुए अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये हैं जिन्हें आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 10 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किया गया।

इस संबंध में यह भी अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के नियम2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07 अगस्त, 2023 को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पुनः अंगीकृत किया गया है।

3- तत्क्रम में संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम 2024 हेतु अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को निर्गत की गई है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु समाहित किये गये है:-

(1) प्रत्येक सार्वजनिक इकाई इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर इन नियमों के प्रयोजनों के लिये पोर्टल पर अपना नोडल अधिकारी निर्दिष्ट करेगी और ऐसे अधिकारी के किसी प्रतिस्थापना को भी सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई द्वारा ऐसे प्रतिस्थापना के सात दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल पर निर्दिष्ट किया आयेगा।

(2) यदि किसी सुविधा प्रदाता को आवेदन करने के लिये सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता होती है:-

(क) सुविधा प्रदाता ऐसे सर्वेक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई द्वारा पोर्टल पर दिये गये प्रारूप और रीति से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 07 (सात) दिनों के भीतर ऐसे सर्वेक्षण के लिये अनुमति प्रदान करेगी और ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिये सुविधा प्रदाता से कोई शुल्क नहीं लेगी जैसा कि अनुसूची के भाग-1 में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति को अस्वीकृत किये जाने पर सार्वजनिक इकाई के अधीन भुगतान किये गये शुल्क का 90% (नब्बे प्रतिशत) अस्वीकृति की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर सुविधा प्रदाता को वापस करेगी।

(4) यदि सार्वजनिक इकाई के पास मार्ग के अधिकार की अनुमति को अस्वीकृत करने के कारण हैं, तो वह आवेदन प्राप्त होने के 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे कारणों को पोर्टल पर अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता उस दिन से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर पोर्टल पर ऐसे कारणों पर प्रतिक्रिया देगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम 2024 हेतु अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2024 द्वारा की गयी व्यवस्था के संबंध में यथावश्यकता नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
RAJESH KUMAR RAI
Date: 07-08-2026

(राजेश कुमार राय)
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Digitally signed by
VISHWABHAN PRAKASH NAGESH
Date: 07-08-2026 14:37:34

(वी0पी0 नागेश)
उप सचिव